रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122020-223417 CG-DL-E-01122020-223417

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3766] No. 3766] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

का.आ. 4271(अ).—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 657(अ.), दिनांक 3 मार्च, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपित्त या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और केरल राज्य में थ्रिस्सूर जिले के और थालाप्पल्ली तालुकों में स्थित है;

5815 GI/2020 (1)

और, पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य में बहुत उच्च जीवजंतु और वनस्पित विविधता है और प्रायद्वीपीय भारत की सभी मुख्य स्तनधारियों का वास है। अभयारण्य की स्थलाकृति और जलवायु पशुओं की विविधता को आश्रय देने के लिए भिन्न सूक्ष्म और स्थूल वासों की उपस्थिति को योग्य बनाती है। जीव-भौगोलिक रूप से, क्षेत्र इंडो-मालायन क्षेत्र में वर्गीकृत है और आर्द्र पर्णपाती मुख्य वनस्पित प्रकार है, यह अभयारण्य क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत भाग आच्छादित करता है। अर्ध सदाहरित और कुछ सदाहरित पैच उच्चतम ढलानों के साथ दिखाई देते हैं। वनस्पित, अत:, आर्द्र वनस्पित प्रकार से सदाहरित प्रकार तक परिवर्तनीय है; अभयारण्य क्षेत्र नेल्लियामपथीस् से आगे बढकर विशाल वनीकृत स्थलाकृति का उत्तरी-पश्चिमी अंतिम भाग है और इसकी दक्षिणी सीमा पर चिमानी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से परमबिकुलम और वझाचल के वनों से जुडा हुआ है;

और, पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य वनस्पति क्रिप्टोकार्या एनामालायाना, डायसोक्यलुम बेड्डोमाइ, ओफिओर्हिजा बरूनोसिस, एपीथेमा कार्नोस्म, एक्टिनोडाफने मालाबरिका, अग्लाइया बारबेरी, एगलाइया लावि, मायकेटिया अकुमिनाटा, पावेट्टा कालोफयल्ला, गल्यकोस्मिस माक्रोकार्पा, वेपरिस बिलोकुलारिस, अल्लोफयलुस कोनकानिकुस, स्मिलाक्स विघटी, प्रेमना गलाबेर्रिमा, अमोमुम मिक्रोस्टेफनुम, अमोमुम पटेरोकारपुम, बोइसेंबेरगिया पुल्चेर्रिमा, कासेअरिया वयनाडेंसिस, मेमेकयलोन लावसोनी, इक्ओरा मालाबारिका, पटेरोस्पर्मुम रेटिकुलाटम, . अंड्रोग्राफिस माक्रोबोटरयस नैस., हायग्रोफिला स्च्ल्ली, अलटेर्नाथेरा सेस्सिलिस, सेमेकार्प्स अरिक्लाटा, एगनोस्मा सिमोसा, विरीघटिया टिंकटोरिया, स्चेफ्फलेरा वेनुलोसा, हेमिदेस्मुस इंडिकस, कोनयजा बोनारिइंसिस, स्पिलांथेस राडिकनस, इम्पाटिइनस पुलचेरिमा,इहरेटिया इंडिका, पोलयकारपाइया कोरयम्बोसा, मेसुआ फेरिया, कोम्मेलिना माकुलाटा, इरयिकबे पानिकुलाटा, ड्रोसेरा बुरमान्नि वाहल, अकालयफा ब्राचयस्टाचया, बरेयिनया विटिस-आइडिया, इयफोरबिया प्रोस्ट्राटा, अक्रोकार्पुस फराक्रिफोलिउस, टामारिंड्स इंडिका, क्रोटालारिया रेतुसा, इरिथ्रिना स्टिकटा, पाइकोनोस्पोरा ल्टेस्केंस, अकेशिया पेन्नाटा, होमालियम जेयलानिकम, लेउकास असपेरा, लिटसेया ओलेओइडेस, असपारागुस राकेमोसुम, अम्मान्निया बाक्किफेरा, सिदा रहोम्बोआइडिया, ओस्बेक्किया ओकटांड़ा, अनामिरटा कोक्कृलुस, अरटोकारपुस हेटेरोफयल्लुस, फिकुस तसजाहेला एन. बुरमान, लुडविगिया पेरूविअना, लिपारिस इल्लिपटिका, ऐगिनेटिया पेडुंकुलाटा, पिपेर निगरूम, इचिनोचलाआ कोलोना, साच्चरूम स्पोंटानेउम, क्रथोफयल्ल्म अरनोट्टियान्म, रूब्स गलोमेराटस बलुमे, हेडयोटिस कोरयम्बोसा, नेओलमारकिकया काडाम्बा, रूबिया कोर्डिफोलिया, डीमोकारपुस लोंगन, टोरेनिया, टोरेनिया बिकोलोर, पटेरयगाटा अलाटा, तरियमफेट्टा अनुआ, अमोमुम हायपोलेयकम, आदि हैं;

और, पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य जीवजंतु चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), गौर (*बोस* गौरस), गोल्डन सियार (*कैनिस ऑरियस*), लेस्सेर डॉग-फेकड फ्रूट बेत (*कीनोप्टेरस स्फिंक्स*), शार्ट-नोज्ड फ्रूट बैट *(कीनोप्टेरस स्फिक्स),* हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चाउस),* डस्की पाल्म गिलहरी (*फुनाम्बुलुस सुबलिनेअट्स),* जंगली पाल्म गिलहरी (*फुनाम्बुलुस टरीस्टीअट्स),* ग्रे नेवला (*हर्पस्टेस एड्वर्डसी*), डस्की लीफ-नोज्ड बैट (हिप्पोसिदेरोस अटेर), फुल्वोउस लेफ-नोज्ड बैट (हिप्पोसिदेरोस फुल्बुस), स्चनेइदेर लेफ-नोज्ड बेत (हिप्पोसिदेरोस *स्पेओरिस),* भारतीय क्रेस्टेड साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), पैंटेड बैत (*केरीवोउला पिकटा*), ब्लैक-नेप्पड खरगोश(*लेपुस* निगरीकोल्लिस), स्मूथ कोटेड ओट्टर (लुतरोगले पेरस्पिकिल्लाटा), बोन्नेट मकाक्यू (माकाका राडिअटे), बनांफोरड मडरोमयस (*माडरोमयस बलांफोरडी*), भारतीय साल *(मानीस क्रॉसिसौड़ाता*), ग्रेटेर फलसे वाम्पिरे (*मेगाडेरमा लयरा*), लेस्सेर फल्से वाम्पिरे (*मेगाडेर्मा स्पास्मा),* रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), छोटा भारतीय फिल्ड माउस *(मुस बोदुगा),* क्लेट हेयर्ड माउस (*मुस पलाटयथरिक्स),* तेंद्आ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), एशियन पाल्म सिवेट (*पाराडॉक्स्रस* हेरमाफरोडिटस), चोकोलेट पिपिस्टेल्ले (पिपिस्ट्रेल्ल्स अफिफिनिस), केलारट पिपिस्टेल्ले (पिपिस्टेल्ल्स केयलोनिकस), भारतीय पिपिस्ट्रेल (पिपिस्ट्रेल्ल्स कोरोमांड्रा), भारतीय पयगमय बैट (पिपिस्ट्रेल्ल्स टेन्इस), भारतीय फ्लांइग लोमड़ी (पटेरोपुस गिगांटेउस), रूफ रेट (रातु रातु), सह्याद्रिस वन चूहा (रतुस स्ट्राराइ), मालाबार जांयट गिलहरी (रतुफा इंडिका), बल्यथ होर्सशॉय बैट (रहीनोलोफुस लेपिडुस), रूफोउस होर्सशॉय बैट (रहीनोलोफुस रोयक्सि), फुलवोउस फुट बैट (रोउसेट्ट् लेस्चेनाउलटी), सांभर हिरन (रूसा यूनिकोलोर), एशियाटिक ग्रेटर येलो हाउस बैट(स्कोटोफिलुस हैथी), एशियाटिक लस्सेर येलो हाउस बैत (स्कोटोफिलुस कुहली), एशियन कस्तूरी श्रेव (सुनकुस मुरीनुस), बनैला सुअर (सस *स्क्रोफ़ा*), भारतीय गेरबिल (ततेरा इंडिका*),* नीलगिरी लंगूर (ट्रेचीपिटेकस जोहनी*),* छोटा भारतीय सीवेट (विवेर्रीकुला इंडिका), आदि है;

और, पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य पक्षियों में सामान्य मैना (*एक्रीडोथेरेस ट्रिस्टिस),* पाड़ुयफिल्ड पिपिट *(अंथुस रूफुलुस),* भारतीय बगुली (*अरडेओला ग्रायी),* ग्रेट हॉर्नबिल्ल (*बुकेरोस बिकोर्निस),* जेरडोन नाइटजार (कापरिमुलगुस अतिरपेंसिस), वोल्लय-नेक्केड स्ट्रोक (किकोनिया इपिस्कोपुस), चेस्ट-नुटिवंगेड कूक्को (कलेमेटर कोरोमांडुस), ब्लू-थ्रोटेड ब्लू फ्लाईकैचर (कयोर्निस रूबेकुलोआईडेस), ब्राउन-कैप्ड पिग्मी कठफोड़वा (डेंड्रोकोपुस मोलुकेंसिस), सामान्य गोल्डन-बैक्केड कठफोड़वा (डिनोपियम जावानेंसिस), पश्चिम रीफ-बगुली (इग्रेट्टा गुलारिस), रेड स्पुर्फोवल (गल्लोपेरडिक्स स्पाडिकेया), जंगली ओवलेट (गलाउकिडियम राडिअतुम), ब्राउन-बैक्केड नीडलटैल (हिरूंडापुस गिगांटेउस), ग्रे-हेडडेड फिश ईगल(इचथ्योफागा इचथ्येतुस), वाईट-रूम्पेड मुनिया (लोंचुरा स्ट्रीअटा), ब्लू-टैलेड बी-ईटर (मेरोपस फिलीप्पिनस), कॉटन पयगयम-गूस (नेट्टापुस कोरोमांडेलिअनुस), मालाबार ग्रे हार्निबल्ल (ओकयकेरोस ग्रिसेउस), स्ट्रोक-बिल्लेड किंगिफशर (पेलारगोप्सिस कापेंसिस), ब्लू-फेस्ड मालकोहा (फाइनिकोफाइउस विरिडिरोस्ट्रिस), वाइट-चीक्ड बारबेत (पसिलोपोगोन विरिडिस), रेड-वेंटेड बुलबुल (पयकनोनोटुस काफेर), ग्रागेनी (स्पातुला क्यइक्यूडुला), मोट्टेड वूड-ओवल (स्ट्रीक ओकेलाटा), सामान्य ग्रीनस्नेक (ट्रिंग नेबुलारिया), सामान्य होपेया (उपुपा इपोप्स), आदि अभिलिखित की गई है;

और, पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय (आर ई टी) प्रजातियां बालीओस्पेरमुम मोन्टानुम (नागाडांथी या काडालावानाक्कु), ड्रोसेरा इंडिका (ड्रोसेरा), ग्लोरिओसा सुपेर्ब (मेंथोन्नी), नेरिविल्लिया अगागोअना (निलाथामारा), पिपेर लोंगुम (थिप्पाली), रायवोलिकया सेपेंटिना (सर्पगांथी), तिनोस्पोरा सिनेंसिस (चितामरूथु), फुनाम्बुलुस सुबलिनेअतुस (डस्की पाल्म गिलहरी), मानिस क्रास्सिकाउडाटा (भारतीय साल), पृथोन मोलुरूस (भारतीय पायथन), आदि पाई जाती है;

और, पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य राज्य में अनामुड़ी हाथी रिज़र्व का भाग है जिसका वन क्षेत्रफल 3728 वर्ग किलोमीटर है जिसमें परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व, पीची वन्यजीव अभयारण्य, चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य, थाट्टेक्कड वन्यजीव अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, ईडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, ईरावीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान, मथीकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान और कुरीनजीमाला अभयारण्य और वझाचल, नेनमारा, चालाकुडी, थ्रिस्सूर, मुन्नार, मालायाट्टूर, कोथामंगलम और मनकुलम वन संभागों के वन क्षेत्र शामिल हैं। राज्य में चार हाथी रिज़र्वो में, अनामुडी हाथी रिज़र्व में 0.7404 हाथी प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व के साथ उच्चतम हाथी संख्या है और 2010 हाथी जनगणना के अनुसार हाथियों की अनुमानित संख्या 2086 है जो कि 1781 से 2443 के बीच पाई जाती है;

और, अनामलाई-अनामुड़ी संरक्षण इकाई के क्षेत्र, पूर्व में चिन्नार और इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्यों से पश्चिम में पीची वन्यजीव अभयारण्य तक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत है और अभयारण्य क्षेत्र दक्षिण भारतीय वन्यजीव के लगभग संपूर्ण श्रेणी के प्रतिनिधित्व करने के साथ संबंधित वनस्पति और जीवजंतु विविधता के साथ पश्चिमी घाट में दक्षिण भारतीय आर्द्र पर्णपाती वनों के बृहत् क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है;

और, अभयारण्य के वनों में मृदा और जल संरक्षण व्यवस्था पर उनके अनुकूल प्रभाव के माध्यम से पीची और वाझनी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र है, जो इन जलाशयों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ कृषि भूमि की सिंचाई के साथ-साथ थ्रिस्सूर नगर में पीने के पानी प्रदान करते है और यहाँ दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ विशिष्ट औषधीय पौधों की विविधता है। अभयारण्य के वन सूक्ष्म जलवायु को सुधारते है और समीपवर्ती वास स्थानों और कृषि भूमि के मृदा और जल संरक्षण व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं;

और, पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1)तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के श्रिस्सूर जिला के पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 6.2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 6.2 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 131.54 वर्ग किलोमीटर है जिसके अंतर्गत 116.04 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और 15.50 वर्ग किलोमीटर गैर वन क्षेत्र शामिल हैं। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:

दिशा	विस्तार (किलोमीटर)
उत्तर	4.5 किलोमीटर
उत्तर- पूर्व	1.5 किलोमीटर
पूर्व	2.75 किलोमीटर
दक्षिण- पूर्व	6.2 किलोमीटर
दक्षिण	0 किलोमीटर
दक्षिण- पश्चिम	4.2 किलोमीटर
पश्चिम	4.8 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	5.5 किलोमीटर

"पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार चीमोनी वन्यजीव अभयारण्य के समीपवर्ती मंगट्टूकोम्बन से पोनमुदी तक के बीच से आरंभ होकर दक्षिण पूर्व सीमा में है। किसी बाधा के बिना यह फैलाव बहुत अच्छा अर्ध-सदाहरित पैच है; अत: पारिस्थितिकी संवेदी जोन शृन्य है।"

- (2) पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-।** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक –IIक, अनुलग्नक -IIख** और **अनुलग्नक -IIग** के रूप में संलग्न है।
- (4) पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक -III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओ पर भू- निर्देशांको के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;

- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास:
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) स्थानीय स्वशासन विभाग;
- (xii) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xiii) लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरिहत और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचिलक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानिचत्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-
- (1) **भू-उपयोग.** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

- (ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत.** सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्वंधित किया गया हो।
- (3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थातु:-
 - (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमति नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;
- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा।

- (4) प्राकृतिक विरासत.— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण.** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सरण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचिलक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचिलक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

- (15) **वाहन जित प्रदूषण.-** वाहन जित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-
 - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
 - (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी	
(1)	(2)	(3)	
	ā	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।	
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमित नहीं होगीः जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।	
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।	

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
	ख	ा.विनियमित क्रियाकलाप
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमत नहीं होगी:
		परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत होंगे।

वृक्षां की कटाई (क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के विना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षां की कटाई नहीं होंगी (ख) वृक्षां की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवेधों के अनुसार विनियमित होगी विद्युत और संचार टांवर लगाने, तार-विद्याने तथा अन्य बुनियादी हांचे की व्यवस्था लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल विद्याने को तथा-विद्याने तथा अन्य बुनियादी हांचा लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल विद्याने को तथा-विद्याने तथा अन्य बुनियादी हांचा लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे कागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के जनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे कागू विधियों के अधीन विनियमित होगा पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाललाप आने के प्रकार से गर्म वायु के पुल्लारे, हेलीकाप्टर, ट्रोन, माइक्रोलाइट्स उद्दाना आदि पहाड़ी टलानों और नदी तटों का संस्क्रण लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और वागवानी पद्मतिया के साथ डेपरिया, द्वाय उत्पादन, जल कृषि और वागवानी पद्मतिया के साथ डेपरिया, द्वाय उत्पादन, जल कृषि और सल्य पालना स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और वागवानी पद्मतिया के साथ डेपरिया, द्वाय उत्पाद के प्रवास के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अपशिष्ट जल/बहिर्यांव का निस्सरण मामू किए जाएंगे अन्यथा उपविध्य के के प्रविक्षण की पुन-उपयोग के प्रवास का निस्सरण मामू का निस्सरण मामू का निस्सरण मामू का निस्सरण मामू विधियों के अधीन विनियमित होगा स्थानीय अन्यथा व्यवस्था के के पुन-उपयोग के प्रवार के निस्सरण मामू विधियों के अधीन विनियमित होगा स्थान विनियमित होगा स्थान विनियमित होगा लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा		T	
उत्पादों का संग्रहण विश्वयों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल विद्धाने को वहांव की व्यवस्था वागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल विद्धाने को वहांव की व्यवस्था वागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अभूमार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे। विद्यमान सहकों को चौड़ा करना, उन्हें सुद्ध बनाना और नई सहकों का निर्माण। यर्थटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप और कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के मुख्यार, हेनीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा संरक्षण । रात्रि में वाहन यातायात का संचलन । रात्रि में वाहन यातायात का संचलन । वागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दृग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालना स्थानीय अवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित होगो । के स्थानिय जनता द्वारा अपनायी जा स्थानीय जनता क्षेत्र के साथ डेयरियां, दृग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालना स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमति होंगे। के स्थान पर वाणिज्यक पशुधन संघा के अधीन विनियमित अपशिष्ट जल कृषि विधियों के अधीन विनियमित अपशिष्ट जल/बहिश्चिव का निस्सरण । जाल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिश्चिव का निस्सरण । वागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । वागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा। विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	12.	वृक्षों की कटाई ।	भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके
तार-विद्याने तथा अन्य बुनियादी हांचे की व्यवस्था। 15. नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी हांचा। 16. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, जन्म सड़कों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के उपर से गर्म बायु के गुल्बारे, हेलीकाण्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। 18. पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संख्ला। 19. रात्रि में बाहन यातायात का संचलन । 20. स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन। 21. फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और मत्स्य पालन। 22. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्रांव के निस्सरण । 23. सतही और भूजल का बाणिज्यक प्रयोग के लागू विधियों के अधीन विनयमित होगा। 24. ठोम अपशिष्ट का प्रवंधन। लागू विधियों के अधीन विनयमित होगा। विद्यान जल कृषि और मत्स्य पालना। 25. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में जपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्रांव के निस्सरण । 26. प्राकृतिक कल निकायों या भू क्षेत्र में जपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्रांव के निस्सरण । 27. प्राकृतिक कल निकायों या भू क्षेत्र में जपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्रांव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्रांव का निस्सरण । 28. सतही और भूजल का बाणिज्यक प्रयोग के अधीन विनयमित होगा।	13.		लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
विद्यमान सहकों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म बाबु के गुब्यारे, हेलीकाण्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। 18. पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का सरक्षण। 19. रात्रि में बाहन यातायात का संचलन । 20. स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही बर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन। 21. फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यक पशुधन संपदा और कुक्कुट फर्मों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंध को छोड़कर) होंगे। 22. प्रकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में अपित विनियमित (अन्यथा उपवंध को छोड़कर) होंगे। 23. सतही और भूजल का वाणिज्यक प्रयोग के अधीन विनियमित होगा। 24. ठोस अपिण्ट का प्रबंधन। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। 3 जल विकायों में उपचारित अपिण्ट जल/बहिस्रांव का निस्सरण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। 3 जल विकायों में उपचारित अपिण्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपिण्ट जल/बहिस्रांव का निस्सरण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। 3 कोस अपिण्ट का प्रबंधन। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।	14.	तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण। 17. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के उपर से गर्म बायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। 18. पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण। 19. रात्रि में बाहन यातायात का संचलन । 10. स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा। 20. स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धियों के साथ डेयरियां, दुश्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्यय पालना 21. फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंध को छोड़कर) होंगे। 22. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्माव का निस्सरण। 33. सतही और भूजल का वाणिज्यक मांच्विध्यों के अधीन विनियमित होगा। 44. ठोस अपशिष्ट का प्रवंधन। 45. लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।	15.	` `	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
औस कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुख्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि। 18. पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संस्थण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। 19. रात्रि में बाहन यातायात का संचलन । लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा। 20. स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धित्यों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन। स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमित होंगे। 21. फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंध को छोड़कर) होंगे। 22. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्म्माव का निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्म्माक का निस्सरण से बचा जाएगा अर उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंग अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्म्माव का निस्सरण से बचा जाएगा विधियों के अनुसार विनियमित होगा। 23. सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। 24. ठोस अपशिष्ट का प्रवंधन। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।	16.	उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों	
संरक्षण	17.	जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20. स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन। 21. फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। 22. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बिहर्म्माव का निस्सरण। 3. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में प्रयास किए जाएंग अन्यथा उपचंध को छोड़कर) होंगे। 3. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बिहर्म्माव का निस्सरण। 4. प्राकृतिक जल का वाणिज्यिक प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बिहर्म्माव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। 4. प्रयोग एवं निष्कर्षण। 5. प्रयोग विधियों के अधीन विनियमित होगा।	18.		लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन। 21. फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। 22. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण। 22. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। 23. सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण। 24. ठोस अपशिष्ट का प्रवंधन। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।	19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। 22. प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बिहर्म्माव के जा निस्सरण। का निस्सरण। का निस्सरण। का निस्सरण का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण। 38ीन विनियमित (अन्यथा उपबंध को छोड़कर) होंगे। जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बिहर्म्माव के प्रयचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बिहर्म्माव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। वा क्षेत्र के अधीन विनियमित होगा। वा विधियों के अधीन विनियमित होगा।	20.	रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमित होंगे।
उपचारित अपशिष्ट जल/बिहिर्माव जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बिहर्माव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। 23. सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण। 24. ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।	21.	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की	
प्रयोग एवं निष्कर्षण । 24. ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।	22.	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव	जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्नाव का
	23.	•	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25. विदेशी प्रजातियों को लाना। लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।	24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		ग.संवर्धित क्रियाकलाप
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी सिमिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी सिमिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, थ्रिस्सूर, पालाक्कड़	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	विधान सभा के सदस्य, ओलूर, चेल्लाकारा, अलाथुर	सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत अध्यक्ष, थ्रिस्सूर	सदस्य;
(iv)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / केरल राज्य विद्युत बोर्ड / केरल जल प्राधिकरण / केरल राज्य सिंचाई विभाग / केरल राज्य पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	केरल सरकार द्वारा नामित केरल राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव वार्डन, पीची	सदस्य- सचिव

- 6. विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सिम्मिलित और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के **पैराग्राफ 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7. अतिरिक्त उपाय.-इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/109/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी. वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- I


केरल राज्य में पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	श्रिस्सूर संभाग के रिज़र्व वन जीपीएस प्वांइट 1 (उ10° 41' 38.692" और पू 076° 16' 22.377")
	की चोटी से आरंभ होकर असूरकूंदू बांध के उत्तर की ओर रिज़र्व की सीमा के साथ साथ इलोद वन
	स्टेशन क्षेत्र (कालीयार रोड से थीरूमणी रोड) तक पहुंचती है यहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन की
	अधिकतम चौड़ाई 3.7 किलोमीटर है।
उत्तर - पूर्व	वहां से, सड़क जी.पी.एस. बिंदु सं.4 (76°19' 3.293" पू 10°40' 15.530"उ) से सीमा जी.पी.एस
	बिंदु 9 (76°24' 36.545" पू 10°35' 28.057"उ) तक अम्बाक्कड़ के निकट अकाकिया बागान रिज़र्व
	सीमा (धीरूमनी, मालाम्पथी) से 100 मीटर की दूरी रेखा से होते हुए जाती है और इलांद से
	वानियामपारा सड़क पहुंचती है, यहां जोन की अधिकतम चौड़ाई 2 किलोमीटर है।

पूर्व	नमं में नियाद की गाम के अन्याद केनों में कोने का की मिया मं 12/76°20' 27 254" म
પૂર્વ	वहां से, कीझाक्कनचेरी ग्राम के आबाद क्षेत्रों से होते हुए जी.पी.एस.सं. 13(76°28' 27.254" पू 10°31' 14.666"उ) तक मैरी गिरि के निकट जी.पी.एस.बिंदु सं. 10 (76°25' 48.908" पू 10°34' 51.359"उ) से होते हुए जाती है।
दक्षिण - पूर्व	जी.पी.एस.बिंदु सं.14 (76°29' 27.432" पू 10°30' 17.037"उ) से आरंभ होकर और कीझाक्कनचेरी ग्राम में कोन्नाक्कलकदावू रबड़ एस्टेट, जी.पी.एस.बिंदु सं 15 (76° 28'51.012" पू 10°29' 11.323"उ), पहुंचती है और अधिकतम चौड़ाई 2.5 किलोमीटर है।
दक्षिण	वहां से, पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य और चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की अभयारण्य सीमा से होते हुए जाती है।
दक्षिण-पश्चिम	वहां से, वल्लूर चीमोनी सड़क तक पालापील्ली श्रेणी के रिज़र्व वन से होते हुए जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं.19 (76°20' 55.587" पू 10°28' 32.304"उ), जी.पी.एस.बिंदु सं.20 (76°20' 36.970" पू 10°30' 13.078"उ) तक, के एफ.डी.सी. के अकाकिया बागान से होते हुए जाती है, यहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन की औसत चौड़ाई 4.8 किलोमीटर है।
पश्चिम	जी.पी.एस.बिंदु सं.20 (76°20' 36.970" पू 10°30' 13.078"उ) से आरंभ होकर, पीची ग्राम की निजी भूमि मरोट्टीचल के आबाद क्षेत्रों से होते हुए जाती है, वेल्लाक्करीथादम के पीची जी.पी.एस.बिंदु सं. 24 (76°22' 17.521" पू 10°33' 10.427"उ) पहुंचती है और इसके बाद कुथीरानमाला, पौवांचीरा, अयोद, चनोथ कचीथोडु बांध जी.पी.एस. बिंदु सं. 31 (76°16' 44.436" पू 10°34' 56.595"उ) के निकट गुरूदेना इलेटेपडी पहुंचती है।
उत्तर -पश्चिम	वहां से मेलील्लम, कक्कीनीक्कड, करूमाथरा के आबाद क्षेत्रों से इसके बाद अकामाला- चेलाक्कारा सड़क जी.पी.एस. बिंदु सं 1 (उ10° 41' 38.692" और पू 076° 16' 22.377") में वझाक्कोडु से होते हुए जाती है और यहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन की औसत चौड़ाई 4.5 किलोमीटर है।


अनुलग्नक- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र




अनुलग्नक- ॥ख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



अनुलग्नक - IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पीची वाझनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



अनुलग्नक-III

सारणी क: पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं की अवस्थान	अक्षांश (उ) डी एम एस	देशांतर (पू) डी एम एस
N. C.	मुख्य । पयुजा नग नह ना ग	/दिशा	प्रारूप	प्रारूप
1	चेलाक्कारा थांडू	उत्तर	ਤ 10 [°] 39.39.460"	पू76 [°] 18'56.505"
2	मुनीप्पारा	उत्तर –पूर्व	ਤ10 [°] 37'43.3"	पू76 [°] 21'7.9"
3	काराडिकुन्डु	उत्तर –पूर्व	ਚ10 [°] 36′25.9"	पू76 [°] 22'48.7"
4	कोम्बाझा	पूर्व	ਤ10 [°] 34'37.9"	पू76 [°] 24'37.6"
5	ओलाकारा	पूर्व	ਚ10 [°] 31'11.8"	पू76 ⁰ 27'4.3"
6	पोन्मुडी	दक्षिण -पश्चिम	ਚ10 [°] 29'3.1"	पू76 ⁰ 28'45.9"
7	मनगाट्टुकोम्बान	दक्षिण	ਚ10 [°] 28'3.7"	पू76 ⁰ 25'18.1"

8	जुंडामुक्क	दक्षिण -पश्चिम	ਚ10 [°] 30'52.06"	पू76 ⁰ 21'47.5"
9	वेल्लानी	उत्तर पूर्व	ਤ10 [°] 34'28.9"	पू76 ⁰ 22'51.4"
10	वाझनी थांडू	उत्तर पश्चिम	ਚ10 [°] 36' 43.9"	पू76 ⁰ 19'25.3"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं की	अक्षांश (उ) डी एम एस	देशांतर (पू) डी एम
71.	331113111111111111	अवस्थान एवं दिशा	प्रारूप	एस प्रारूप
1	वाझाक्कोडे	उत्तर	ਤ 10°41' 38.692"	पू 76°16' 22.377"
2	अट्टोर	उत्तर	ਤ 10°41' 51.387"	पू 76°17' 27.746"
3	किल्लीमंनगालाम	उत्तर-पूर्व	ਤ 10°42' 9.597"	पू76°19' 10.671"
4	थोट्टेक्कड	उत्तर- पूर्व	ਤ 10°40' 15.530"	पू76°19' 3.293"
5	पंडाराप्पिल्लय	उत्तर-पूर्व	ਤ 10°39' 42.266"	पू76°20' 0.211"
6	कालाप्पारा	उत्तर-पूर्व	ਤ 10°38' 57.164"	पू76°21' 4.199"
7	कालीया सड़क	उत्तर-पूर्व	ਤ10°37' 57.672"	पू76°21' 47.716"
8	ईलानादु	पूर्व	ਤ 10°36' 24.902"	पू76°23' 17.041"
9	कोदीकुथीप्पारा	पूर्व	ਤ 10°35' 28.057"	पू 76°24' 36.545"
10	अलाथूर	पूर्व	ਤ 10°34' 51.359"	पू76°25' 48.908"
11	पोथूचडय	पूर्व	ਤ 10°33' 35.762"	पू 76°26' 41.168"
12	लवानापोअडान	दक्षिण - पूर्व	उ 10°32' 26.881"	पू 76°27' 13.629"
13	पुष्पागिरी आश्रमाम के पास	दक्षिण - पूर्व	ਤ 10°31' 14.666"	पू 76°28' 27.254"
14	पालाक्कुझी	दक्षिण - पूर्व	ਤ 10°30' 17.037"	पू 76°29' 27.432"
15	मंगलाम्कावा	दक्षिण - पूर्व	उ 10°29' 11.323"	पू 76°28' 51.012"
16	चलाक्कुडय प्रभाग में राजस्व वन	दक्षिण	ਤ 10°28' 9.568"	पू 76°24' 55.076"
17	वेल्लादी –इलानादु वन क्षेत्र	दक्षिण	ਤ 10°27' 56.108"	पू 76°23' 27.193"
18	नादमपदम कॉलोनी रोड	दक्षिण - पश्चिम	ਤ 10°27' 10.520"	पू 76°21' 49.863"
19	मारोत्तीचल	दक्षिण - पश्चिम	ਤ 10°28' 32.304"	पू 76°20' 55.587"
20	के एफ डी सी बबूल वृक्षारोपण	दक्षिण - पश्चिम	ਤ 10°30' 13.078"	पू 76°20' 36.970"
21	मेल्क्कावयु मन्दिर	दक्षिण - पश्चिम	ਤ 10°31' 33.092"	पू 76°21' 41.039"
22	चेलीक्कुझी	पश्चिम	ਤ 10°32' 10.708"	पू 76°22' 15.077"
23	पूलाचुवादु	पश्चिम	ਤ 10°32' 33.635"	पू 76°20' 56.955"
24	थोनीक्काल	पश्चिम	ਤ 10°33' 10.427"	पू 76°22' 17.521"
25	वझुक्कुप्पारा	पश्चिम	ਤ 10°34' 11.643"	पू 76°22' 31.233"
26	पूर्वाचिरा	पश्चिम	ਤ 10°34' 47.591"	पू 76°21' 25.852"
27	काल्लीदुक्क	पश्चिम	ਤ 10°33' 32.932"	पू 76°20' 33.739"
28	चनोथ	पश्चिम	ਤ 10°34' 11.848"	पू 76°19' 48.277"

	T .	T .		1
29	पट्टाथीप्पारा	पश्चिम	ਤ 10°34' 19.313"	पू 76°18' 37.354"
30	अनांधनगर	पश्चिम	ਤ 10°34' 2.542"	पू 76°17' 39.601"
31	इलीटेपाडी	पश्चिम	ਤ 10°34' 56.595"	पू 76°16' 44.436"
32	मेलील्लुम	पश्चिम	ਤ 10°36' 1.647"	पू 76°18' 52.220"
33	चेन्नीक्कारा	पश्चिम	ਤ 10°36' 20.391"	पू76°17' 41.597"
34	कुट्टीक्कड	उत्तर - पश्चिम	ਤ 10°37' 34.866"	पू 76°17' 47.539"
35	काक्किनीक्कड	उत्तर - पश्चिम	ਤ 10°38' 50.872"	पू 76°18' 23.167"
36	चेप्पीलाक्कोद	उत्तर - पश्चिम	ਤ 10°39' 4.883"	पू 76°16' 24.524"
37	अकामाला	उत्तर	उ 10°40' 16.749"	पू76°16' 11.983"

अनुलग्नक-IV भू-निर्देशांकों के साथ पीची-वाझनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

_ ÷	ग्राम के		जिला	भू-निर्देशांक		
क्र.सं.	ग्राम नाम	प्रकार	तालुक	।जल।	अक्षांश	देशांतर
1	पननचेरी	राजस्व	थ्रिस्सूर	थ्रिस्सूर	ਤ 10∘34'26.692"	पू76°23'1.174"
2	मनालिथारा	राजस्व	थालाप्पिल्लिय	थ्रिस्सूर	ਤ 10∘ 37'11.304"	पू76º21'12.746"
3	अट्टूर	राजस्व	थालाप्पिल्लिय	थ्रिस्सूर	ਤ 10∘ 39'5.646"	पू76॰19'9.533"
4	कन्नाम्बरा	राजस्व	अलाथूर	थ्रिस्सूर	ਤ 10∘ 35'26.600"	पू76°24'33.600"
5	किझाक्कांचेरी	राजस्व	अलाथूर	पालाक्कड	ਤ 10∘ 38'12.418"	पू76º18'31.091"
6	पीची	राजस्व	थ्रिस्सूर	थ्रिस्सूर	ਤ 10∘ 36'2.305"	पू76°19'46.004"

अनुलग्नक-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्रः

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
- 6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2020

S.O. 4271(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 657 (E), dated 3rd March, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, The Peechi - Vazhani Wildlife Sanctuary is spread over an area of 125 square kilometers and situated in Thrissur and Thalappilly Taluks of Thrissur district in the state of Kerala;

AND WHEREAS, Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary has a very high faunal and floral diversity and harbors almost all the major mammals of peninsular India. The topography and climate of the Sanctuary enables the occurrence of varied micro and macro habitats to shelter variety of animals. Zoogeographically, the area is classified as Indo – Malayan Region and predominant vegetation type is moist deciduous, covering about 80 per cent of the Sanctuary area. Semi evergreen and some evergreen patches are seen along the higher slopes. The vegetation, therefore, changes from Moist Deciduous type to Evergreen type; the Sanctuary area is at the north-western end portion of a vast forested landscape extending from the Nelliampathies and connected with Parambikulam and Vazhachal forests through Chimmony Wildlife Sanctuary at the southern boundary;

AND WHEREAS, the major flora of the Peechi - Vazhani Wildlife Sanctuary are Cryptocarya anamalayana, Dysoxylum beddomei, Ophiorrhiza brunosis, Epithema carnosum, Actinodaphne malabarica, Aglaia barberi, Aglaia lawii, Mycetia acuminata, Pavetta calophylla, Glycosmis macrocarpa, Vepris bilocularis, Allophylus concanicus, Smilax wightii, Premna glaberrima, Amomum microstephanum, Amomum pterocarpum, Boesenbergia pulcherrima, Casearia wynadensis, Memecylon lawsonii, Ixora malabarica, Pterospermum reticulatum, Andrographis macrobotrys Nees., Hygrophila schulli, Alternanthera sessilis, Semecarpus auriculata, Aganosma cymosa, Wrightia tinctoria, Schefflera venulosa, Hemidesmus indicus, Conyza bonariensis, Spilanthes radicans, Impatiens pulcherrima, Ehretia indica, Polycarpaea corymbosa, Mesua ferrea, Commelina maculata, Erycibe paniculata, Drosera burmannii Vahl, Acalypha brachystachya, Breynia vitis-idaea, Euphorbia prostrata, Acrocarpus fraxinifolius, Tamarindus indica, Crotalaria retusa, Erythrina stricta, Pycnospora lutescens, Acacia pennata, Homalium zeylanicum, Leucas aspera, Litsea oleoides, Asparagus racemosus, Ammannia baccifera, Sida rhomboidea, Osbeckia octandra, Anamirta cocculus, Artocarpus heterophyllus, Ficus tsjahela N.Burman, Ludwigia peruviana, Liparis elliptica, Aeginetia pedunculata, Piper nigrum, Echinochloa colona, Saccharum spontaneum, Xanthophyllum arnottianum, Rubus glomeratus Blume, Hedyotis corymbosa, Neolamarckia cadamba, Rubia cordifolia, Dimocarpus longan, Torenia bicolor, Pterygota alata, Triumfetta annua, Amomum hypoleucum, etc;

AND WHEREAS, the major fauna of the Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary are spotted deer (Axis axis), gaur (Bos gaurus), golden jackal (Canis aureus), lesser dog- faced fruit bat (Cynopterus brachyotis), short-nosed fruit bat (Cynopterus sphinx), elephant (Elephas maximus), jungle cat (Felis chaus), dusky palm squirrel (Funambulus sublineatus), jungle palm squirrel (Funambulus tristriatus), grey mongoose (Herpestes edwardsi), dusky leaf-nosed bat (Hipposideros ater), fulvous leaf-nosed bat (Hipposideros fulvus), Schneider's leaf-nosed bat (Hipposideros speoris), Indian crested porcupine (Hystrix indica), painted bat (Kerivoula picta), black-naped hare (Lepus nigricollis), smooth coated otter (Lutrogale perspicillata), bonnet macaque (Macaca radiate), blanford's madromys (Madromys blanfordi), Indian

pangolin (Manis crassicaudata), greater false vampire (Megaderma lyra), lesser false vampire (Megaderma spasma), sloth bear (Melursus ursinus), little Indian field mouse (Mus booduga), flat-haired mouse (Mus platythrix), leopard (Panthera pardus), tiger (Panthera tigris), Asian palm civet (Paradoxurus hermaphroditus), chocolate pipistrelle (Pipistrellus affinis), Kelaart's pipistrelle (Pipistrellus ceylonicus), Indian pipistrelle (Pipistrellus coromandra), Indian pygmy bat (Pipistrellus tenuis), Indian flying fox (Pteropus giganteus), roof rat (Rattus rattus), Sahyadris forest rat (Rattus satarae), Malabar giant squirrel (Ratufa indica), Blyth's horseshoe bat (Rhinolophus lepidus), Rufous horseshoe bat (Rhinolophus rouxii), Fulvous fruit bat (Rousettus leschenaultii), sambar deer (Rusa unicolor), Asiatic greater yellow house bat (Scotophilus heathii), Asiatic lesser yellow house bat (Scotophilus kuhlii), Asian musk shrew (Suncus murinus), wild boar (Sus scrofa), Indian gerbil (Tatera indica), Nilgiri langur (Trachypithecus johnii), small Indian civet (Viverricula indica), etc;

AND WHEREAS, major avifauna recorded in the Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary are common myna (Acridotheres tristis), paddyfield pipit (Anthus rufulus), Indian pond-heron (Ardeola grayii), great hornbill (Buceros bicornis), Jerdon's nightjar (Caprimulgus atripennis), woolly-necked stork (Ciconia episcopus), chest-nut winged cuckoo (Clamator coromandus), blue-throated blue flycatcher (Cyornis rubeculoides), brown-capped pygmy woodpecker (Dendrocopos moluccensis), common golden-backed woodpecker (Dinopium javanense), western reef-heron (Egretta gularis), red spurfowl (Galloperdix spadicea), jungle owlet (Glaucidium radiatum), brown-backed needletail (Hirundapus giganteus), grey-headed fish eagle (Ichthyophaga ichthyaetus), white-rumped munia (Lonchura striata), blue-tailed bee-eater (Merops philippinus), cotton pygmy-goose (Nettapus coromandelianus), Malabar grey hornbill (Ocyceros griseus), stork-billed kingfisher (Pelargopsis capensis), blue-faced malkoha (Phaenicophaeus viridirostris), white-cheeked barbet (Psilopogon viridis), red-vented bulbul (Pycnonotus cafer), garganey (Spatula querquedula), mottled wood-owl (Strix ocellata), common greenshank (Tringa nebularia), common hoopoe (Upupa epops), etc;

AND WHEREAS, the rare, threatened and endangered (RET) species available in the Peechi - Vazhani Wildlife Sanctuary *Baliospermum montanum* (naagadanthi or kadalaavanakku), *Drosera indica* (drosera), *Gloriosa superb* (menthonni), *Nervillia agagoana* (nilathamara), *Piper longum* (thippali), *Rauvolfia serpentine* (sarpaganthi), *Tinospora sinensis* (chitamruthu), *Funambulus sublineatus* (dusky palm squirrel), *Manis crassicaudate* (Indian pangolin), *Puthon molurus* (Indian python), etc;

AND WHEREAS, Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary is a part of the Anamudi Elephant Reserve in the State with a total forest area of 3728 square kilometers consisting of Parambikulam Tiger Reserve, Peechi Wildlife Sanctuary, Chimmony Wildlife Sanctuary, Thattekkad Wildlife Sanctuary, Chimnar Wildlife Sanctuary, Idukki Wildlife Sanctuary, Eravikulam National Park, Anamudi Shola National Park, Pambadum Shola National Park, Mathikettan shoal National Park and Kurinjimala Sanctuary and the forest areas of Vazhachal, Nenmara, Chalakudy, Thrissur, Munnar, Malayattur, Kothamangalam and Mankulam forest divisions. Among the four elephant reserves in the State, Anamudi Elephant Reserve has the highest elephant number with a density of 0.7404 elephants per square kilometers and estimated number of elephants as per 2010 elephant census is 2086 ranging from 1781 to 2443;

AND WHEREAS, the areas of Anamalai - Anamudi Conservation Unit, from Chinnar and Indira Gandhi Wildlife Sanctuaries on the east to Peechi Wildlife Sanctuary in the west are now under the protected area network and the Sanctuary area is a large representative area of south Indian moist deciduous forests in the Western Ghats with associated floral and faunal diversity with representation of almost the entire range of south Indian wildlife;

AND WHEREAS, the forests of the Sanctuary is the catchments of Peechi and Vazhani reservoirs by way of their favorable influence on soil and water conservation regimes ensuring water availability in these reservoirs providing drinking water to Thrissur town as well as irrigating agricultural lands and it has exceptional medicinal plant diversity with rare and endangered species. The forests of the Sanctuary ameliorate the micro climate and exert favorable influence on the soil and water conservation regimes of the adjacent habitations and agricultural lands;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 6.2 kilometres around the boundary of Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary, in Thrissur District in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 6.2 kilometres around the boundary of Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 131.54 square kilometres which comprises of 116.04 square kilometres of forest area and 15.50 square kilometres of non-forest area. The extent of Eco-sensitive Zone at various direction are given below:

Direction	Extent (kilometers)
North	4.5 Kilometers
North- East	1.5 Kilometers
East	2.75 Kilometers
South- East	6.2 Kilometers
South	0 Kilometers
South- West	4.2 Kilometers
West	4.8 Kilometers
North -West	5.5 Kilometers

The zero extent of Eco-sensitive Zone at "South – East boundary starting from Mangattukomban to Ponmudi is lying adjoining with Chimmony Wildlife Sanctuary. This stretch is a very good semi evergreen patch without any disturbance; hence Eco-Sensitive Zone is zero".

- (2) The boundary description of Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**
- (3) The maps of the Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.
- (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Peechi- Vazhani Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;

- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Local Self Government Department;
- (xii) Kerala State Pollution Control Board; and
- (xiii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the State Government.** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including

the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Ecosensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Ecosensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the ecotourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- **(6) Noise pollution.** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Ecosensitive Zone.
- (10) Bio-Medical Waste. Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Ecosensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management. The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.- The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

- (17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
 - (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Pro	ohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:
		Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro- electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.

	B. Regu	lated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Prom	noted Activities
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
		1

36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Collector, Thrissur, Palakkad	Chairman, ex officio;
(ii)	The Member of Legislative Assembly, Ollur, Chelakkara, Alathur	Member;
(iii)	The District Panchayat President, Thrissur	
(iv)	Representatives of Kerala State Pollution Control Board / Kerala State Electricity Board / Kerala Water Authority / Kerala State Irrigation Department / Kerala State Environment Department	Member;
(v)	Representative of Non-Governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Kerala to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	The Wildlife Warden, Peechi	Member-Secretary.

- **6. Terms of reference.** -(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8. Orders, Supreme Court, etc.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/109/2015-ESZ-RE]


Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I


BOUNDARY DESCRIPTION OF PEECHI- VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE KERALA

North	Starting from the ridge of Reserve Forest of Thrissur Division, GPS point 1 (N 10° 41' 38.692" and E 076° 16' 22.377") running along the boundary of reserve towards north of Asurankundu Dam reaches upto Elanad Forest Station area (Kaliyar road to Thirumani road) here the maximum width of the eco-sensitive zone is 3.7 km.
North - East	Thence, from road GPS point No. 4 (76°19' 3.293" E 10°40' 15.530" N) boundary runs through a line of 100 m distant from reserve boundary (Thirumani, Malampathi acacia Plantation near Ambakkad upto GPS point No.9 (76°24' 36.545" E 10°35' 28.057" N) and reaches (Elanad to Vaniyamapara road) here the maximum width of the zone is 2Km
East	Thence proceeds through GPS point No. 10 (76°25' 48.908" E 10°34' 51.359" N)near Mary giri upto GPS No. 13(76°28' 27.254" E 10°31' 14.666" N) through inhabited areas of Kizhakkanchery village.
South - East	Starting from GPS point No. 14 (76°29' 27.432" E 10°30' 17.037" N) run through and reaches GPS point No. 15 (76° 28'51.012" E 10°29' 11.323" N), Konnakkalkadavu rubber estate in Kizhakkanchery village and maximum width of 2.5 km.
South	Thence, runs through sanctuary boundary of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary and Chimmony Wildlife Sanctuary
South -West	Thence runs through the reserve forest of Palappilly Range upto the Valloor - Chimmony road and through GPS point No. 19 (76°20' 55.587" E 10°28' 32.304" N), upto GPS point No. 20 (76°20' 36.970" E 10°30' 13.078" N), Accacia Plantation of KFDC, here width of eco-sensitive zone is average 4.8 km.
West	Starting from GPS point No. 20 (76°20' 36.970" E 10°30' 13.078" N), runs through private land of Peechi village, inhabited areas of Marottichal, Vellakkarithadam to reach Peechi GPS point No. 24 (76°22' 17.521" E 10°33' 10.427" N) and then to Kuthiranmala, Poovanchira, Ayod, Chanoth reachs Gurudeva elitepadi near Kachithodu dam GPS point No. 31 (76°16' 44.436" E 10°34' 56.595" N)
North -West	Thence runs through the inhabited areas of Melillum, Kakkinikkad, Karumathra then to Vazhakkodu in Akamala – Chelakkara road GPS point No. 1 (N 10° 41' 38.692" and E 076° 16' 22.377")and here average width of eco-sensitive zone is 4.5 km.

ANNEXURE- IIA LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PEECHI- VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PEECHI- VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PEECHI- VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF PEECHI- VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Identification of prominent points	Location/Direction of prominent points	Latitude (N) DMS Format	Longitude (E) DMS Format
1	Chelakkara Thandu	North	N 10°39.39.460"	E76°18'56.505"
2	Munippara	North – East	N10°37'43.3"	E76°21'7.9"
3	Karadikundu	North – East	N10°36'25.9"	E76°22'48.7"
4	Kombazha	East	N10°34'37.9"	E76°24'37.6"

5	Olakara	East	N10°31'11.8"	E76 27'4.3"
6	Ponmudi	South - West	N10°29'3.1"	E76 28'45.9"
7	Mangattukomban	South	N10°28'3.7"	E76°25'18.1"
8	Jundamukk	South - West	N10°30'52.06"	E76 21'47.5"
9	Vellani	North East	N10°34'28.9"	E76 22'51.4"
10	Vazhani Thandu	North West	N10°36' 43.9"	E76 [°] 19'25.3"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Identification of prominent points	Location or Direction of prominent points	Latitude (N) DMS Format	Longitude (E) DMS Format
1	Vazhakkode	North	N 10°41' 38.692"	E 76°16' 22.377"
2	Attoor	North	N 10°41' 51.387"	E 76°17' 27.746"
3	Killimangalam	North- East	N 10°42' 9.597"	E76°19' 10.671"
4	Thottekkad	North- East	N 10°40' 15.530"	E76°19' 3.293"
5	Pandarappilly	North- East	N 10°39' 42.266"	E76°20' 0.211"
6	Kalappara	North- East	N 10°38' 57.164"	E76°21' 4.199"
7	Kaliya Road	North- East	N10°37' 57.672"	E76°21' 47.716"
8	Ealanadu	East	N 10°36' 24.902"	E76°23' 17.041"
9	Kodikuthippara	East	N 10°35' 28.057"	E 76°24' 36.545"
10	Alathoor	East	N 10°34' 51.359"	E 76°25' 48.908"
11	Pothuchady	East	N 10°33' 35.762"	E 76°26' 41.168"
12	Lavanapoadan	South - East	N 10°32' 26.881"	E 76°27' 13.629"
13	Near Pushpagiri Ashramam	South - East	N 10°31' 14.666"	E 76°28' 27.254"
14	Palakkuzhi	South - East	N 10°30' 17.037"	E 76°29' 27.432"
15	Mangalamkava	South - East	N 10°29' 11.323"	E 76°28' 51.012"
16	Reserve Forest in Chlakkudy Division	South	N 10°28' 9.568"	E 76°24' 55.076"
17	Velladi - Elanadu Forest area	South	N 10°27' 56.108"	E 76°23' 27.193"
18	Nadampadam Colony road	South - West	N 10°27' 10.520"	E 76°21' 49.863"
19	Marottichal	South - West	N 10°28' 32.304"	E 76°20' 55.587"
20	KFDC Acacia Plantation	South - West	N 10°30' 13.078"	E 76°20' 36.970"
21	Melkkavu Temple	South - West	N 10°31' 33.092"	E 76°21' 41.039"
22	Chelikkuzhi	West	N 10°32' 10.708"	E 76°22' 15.077"
23	Poolachuvadu	West	N 10°32' 33.635"	E 76°20' 56.955"
24	Thonikkal	West	N 10°33' 10.427"	E 76°22' 17.521"
25	Vazhukkuppara	West	N 10°34' 11.643"	E 76°22' 31.233"
26	Poovanchira	West	N 10°34' 47.591"	E 76°21' 25.852"
27	Kallidukk	West	N 10°33' 32.932"	E 76°20' 33.739"
28	Chanoth	West	N 10°34' 11.848"	E 76°19' 48.277"
29	Pattathippara	West	N 10°34' 19.313"	E 76°18' 37.354"
30	Anandhanagar	West	N 10°34' 2.542"	E 76°17' 39.601"

31	Elitepadi	West	N 10°34' 56.595"	E 76°16' 44.436"
32	Melillum	West	N 10°36' 1.647"	E 76°18' 52.220"
33	Chennikkara	West	N 10°36' 20.391"	E 76°17' 41.597"
34	Kuttikkad	North - West	N 10°37' 34.866"	E 76°17' 47.539"
35	Kakkinikkad	North - West	N 10°38' 50.872"	E 76°18' 23.167"
36	Cheppilakkod	North - West	N 10°39' 4.883"	E 76°16' 24.524"
37	Akamala	North	N 10°40' 16.749"	E 76°16' 11.983"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF PEECHI- VAZHANI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Village Name	Type of Village	Taluka	District	Geo co-ordinates	
					Latitude	Longitude
1	Pananchery	Revenue	Thrissur	Thrissur	N 10°34'26.692"	E 76°23'1.174"
2	Manalithara	Revenue	Thalappilly	Thrissur	N 10° 37'11.304"	E 76°21'12.746"
3	Attoor	Revenue	Thalappilly	Thrissur	N 10° 39'5.646"	E 76°19'9.533"
4	Kannambra	Revenue	Alathoor	Thrissur	N 10° 35'26.600"	E 76°24'33.600"
5	Kizhakkanchery	Revenue	Alathoor	Palakkad	N 10° 38'12.418"	E 76°18'31.091"
6	Peechi	Revenue	Thrissur	Thrissur	N 10° 36'2.305"	E 76°19'46.004"

ANNEXURE -V

Performa of Action Taken Report:-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.